न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:–64 / 2025 तारीख रजू :– 09.7..2025

पीठासीन अधिकारी :– अमन चौधरी आर.ए.एस.

1. जियालाल
2. जलधारी } पिस0 रघुवीर
3. शिवराम

4. लोहडे
5. मुन्ना } पिस0 धान्धु

6. कैलाशी पुत्री धान्धु पत्नि मोहर सिंह

7. काडू } पिस0
8. रवि } केशन्ती पत्नि खिलाडी पुत्री धान्धु

समस्त जाति मीना निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. शिवदत्त
2. देबू } पिस0 श्रीनिवास } समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी डौरावली तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)
3. सुनील

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट
2 अभिभाषक अप्रार्थीः– मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांक–11.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है ग्राम डौरावली के खसरा नम्बर 679 रकवा 15 ऐयर, 680 रकवा 2 ऐयर गै0मु0 चाह 681 रकवा 27 ऐयर चाही कुल किता 3 कुल रकवा 0.44 है0 सायलान द्वारा गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 के पिता श्रीनिवास के यहॉ करीब 40 वर्ष पूर्व रहन रख दिया गया, जबकि उक्त आराजीयात पर सायलान का मौके पर कब्जा चला आ रहा है, जिससे गैरसायाल नम्बर 1 ता 3 व इनके पिता श्रीनिवास का कोई संबंध किसी प्रकार से नही है। वर्तमान जमाबंदी में उक्त आराजीयात गैरसायालान नम्बर 1 ता 3 के पिता श्रीनिवास पुत्र रेवती प्रसाद के नाम से रहन के रूप में नाम दर्ज चल आ रहा है, जबकि गैरसायाल नम्बर 1 ता 3 का उक्त आराजी से कोई संबंध नहीं है। सायलान द्वारा गैरसायल नम्बर 1 ता 3 के पिता श्रीनिवास के जीवनकाल में कई बार उक्त रहन को हाल जमावंदी हटाने का मौखिक निवेदन किया लेकिन श्रीनिवास द्वारा हमेशा यह कर टाल देता था कि कब्जा तो तुम्हारा चला आ रहा है। अभी मेरे पास समय नहीं है, जब भी समय मिलेगा तहसील में चलकर रहन का इन्द्राज हटावा देंगे, लेकिन गैरसायल सख्या 1 ता 3 के पिता श्रीनिवास की मृत्यु हो जाने पर सायलान द्वारा गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 से भी उक्त रहन के इन्द्राज को हटाने बाबत मौखिक रूप से निवेदन किया जिस पर गैरसायल नम्बर 1 ता 3

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

हमेशा टालम टोल करते रहे, जबकि उक्त रहन के इन्द्राज को हुए करीब 50 वर्ष हो गये तथा कानून में भी रहकन का इन्द्राज अधिक से अधिक 30 वर्ष तक रह सकता है। 30 वर्ष पश्चात स्वतः ही रहन का इन्द्राज समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जैसा कि राजस्थान सरकार के अध्यादेश तारीखी 06.09.1975 के अनुसार 30 वर्ष के पश्चात भी उक्त रहन का इन्द्राज भूमि मुतजिका मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र पर आज भी विधि विरूद्व तरीके से चला आ रहा है। जिसे कानूनन उक्त रहन के इन्द्राज को हजफ कर आराजीयात को रहन से वाजूगास्त करवाने के सायलान अधिकारी है।

खातेदार व अन्तू व जुगती के लाऔलाद फौत हो जाने के कारण मृतक अन्तू व जुगाती के जायज एवं कानूनी वारिसान सायलान है और मृतक अन्तू व जुगती के तर्के पर सायलान काबिज चले आ रहे है।

सायलान द्वारा दिनांक 02.01.2025 को गैरसायल नम्बर 1 ता 3 से भूमि मुतजिका मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजीयात गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 के पिता श्रीनिवास पुत्र रेवती प्रसाद के नाम दर्ज रहन के इन्द्राज को तहसील में चलकर हटवाने का निवेदन किया तो गैरसायलान द्वारा टालम टोल करने लगे और उक्त रहन के इन्द्राज को हजफ करवाने से साफ इंकार कर दिया जिस पर सायलान ने तहसीलदार टोडाभीम से रहन के इन्द्राज को समाप्त करने को कहा तो तहसीलदार टोडाभीम ने सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने की सलाह दी जिस कारण सायलान द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष रहन वाजूगास्ती का वाद दिनांक 20.01.2025 को प्रस्तुत कर दिया गया जिसमें आगामी तारीख पेश दिनांक 07.07.2025 वास्ते जवाब नियत है।सायलान द्वारा प्रस्तुत रहन वाजुगास्ती के नोटिस जब गैरसायलान को मिले जो गैरसायलान दिनांक 23.06.2025 को अपने हाथो में लाठी, डण्डा व गण्डासी व धरदार हथियार लेकर सायलान की खातेदारी की भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र पर आये और सायलान से गाली गलौच व जाति सूचक शब्दो से अपमानित करते हुए सायलान को धमकी दी कि इस जमीन का हमारे पिता के नाम रहन का इन्द्राज चला आ रहा है इसलिए अब हम तुम्हें तुम्हारी खातेदारी की भूमि से बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को लट्ठ के बल पर कब्जा कराने की धमकी दी जिस पर सायलान नम्बर 1 जियालाल द्वारा 26.06.2025 को श्रीमान उपजिला कलैक्टर टोडाभीम के समक्ष एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 126,135,170 B N S S के तहत प्रस्तुत किया गया जिसे श्रीमान द्वारा थाना टोडाभीम भेजा गया जिससे गैरसायालन नाराज हो गये और पुनः दिनांक 02.07.2025 को सायलान की भूमि पर आकार सायलान से भूमि को काश्त नहीं करने देने व झगडा करने पर आमादा हो गये। गैरसायलान नम्बर 1 ता 3 ने धमकी दीं कि तुमने हमारे खिलाफ थाने में मुकदमा कर दिया है इसिलए अब तो हम तुम्हारी जमीन को काश्त नहीं करने देगे क्योकि गांव के कुछ असामाजिक व्यक्ति हमारे साथ है इसलिए हम तुम्हारी जमीन को जोतने बोने नहीं देंगे। सायलान ने गांव के पंच पटेलों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से समझवाया लेकिन गैरसायलान मानने को तैयार नही हुऐ जिस कारण सायलान को यह प्रार्थना पत्र विरूद्व गैरसायलान पेश करना लाजमी हुआ।

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा इस अम्र से पाबंद फरमाया जावे कि आराजी मुतजिका मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 679 रकवा 15 ऐयर, 690 रकवा 2 ऐयर, 681 रकवा 27 ऐयर, स्थित ग्राम डौरावली तहसील टोडाभीम की आराजी में सायलान के हिस्से व कब्जे काश्त की भुमि में मानें मजाहमत ना तो स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावे। सायलान की भूमि का विक्रय नहीं करें सायलान को भूमि से बेदखल नहीं करें। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान व सायलान की भूमि पर विपरित प्रभाव पडता हो। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मनोज कुमार एड0 उपस्थित हुये अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

किया प्रार्थना पत्र का जबाब इस प्रकार है कि भूमि गैरसायलान के पिता श्रीनिवास के यहां सायलान द्वारा 40 वर्ष से रहन नहीं रखी गई है, बल्कि विवादित भूमि साबिक में ही टीनेंसी एक्ट लागू होने के पूर्व से सन 1903 से भी पहले से यानी सैकडो वर्ष से भी अधिक समय पूर्व से ही सायलान के पूर्वज गंगविशन द्वारा प्रतिसायलान के पूर्वज गंगबखस के यहां रहन रख दी थी और कब्जा बांकई मौके पर सायलान के पूर्वज का उसी दिन करा दिया, और उसी समय से आज दिन तक विवादित भूमि रहन चल रही है, और वजमाना पूर्वज रहन के समय से ही सैकडों वर्ष से भी अधिक समय से पूर्व से ही विवादित भूमि पर जीते जी पूर्वज सायलान काबिज एवं दखित रहे और उनकी फौतगी के बाद आज दिन तक उक्त भूमि पर सायलान मौके पर काबिज एवं दाखिल हैं, उक्त भूमि के एक इंच भूभाग पर सायलान का कभी भी कोई कब्जा काश्त ना ही तो पूर्वजों के समय मे रहा है और ना ही सायलान आज मौके पर काबिज है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है। विवादित आराजियात का हाल राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान के पिता श्रीनिवास के नाम रहन दर्ज होना स्वीकार है, शेष इबारत सायलान द्वारा बिल्कुल गलत व असत्य तथ्यो के आधार पर मनगढत दर्ज करवा दिये जाने के कारण अस्वीकार है। वास्तव में जब विवादित आराजियात से सायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है, और ना ही आज है, विवादित भूमि टींनेसी एक्ट लागू होने से पूर्व से ही सन 1903 से पूर्व से ही वजमाना बुजुर्गान गैरसायलान के यहां रहन चली आ रही है। एवं उसी समय से वजमान बुजुर्गमान गैरसायालान आज दिन तक मौके पर उक्त भूमि पर सायलान की जानकारी में बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है, जिससे उक्त भूमि पर गैरसायालान को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, तब सायलान द्वारा कभी गैरसायलान या उनके पिता श्रीनिवास से किसी प्रकार का कोई मौखिक निवेदन किया जाना और उक्त श्रीनिवासजी द्वारा सायलान को किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया जाना कतई गलत है, एवं सायलान द्वारा राजस्थान सरकार के आध्यादेश जारीखी 06.09.1975 का अध्यादेश इस प्रकरण पर किसी भी प्रकार से लागू नहीं होता है, क्योंकि उक्त आराजियात सन् 1903 से भी पूर्व से गैरसायलान के पूर्वजों के यहां रहन चली आ रही है और उसी समय से गैरसायालान वजमाना बुजुर्गान उक्त भुमि पर काबिज एवं दखित चले आ रहे हैं, इस दौरान खातेदार राहिन द्वारा कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही किसी भी सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है, और मुताविक धारा 73 राजस्थान टीनेंसी एक्ट गैरसायालान को विवादित भूमि पर मुताविक एडवर्स पजेशन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। इ स प्रकार उक्त भूमि पर गैरसायलान कानूनन सही खातेदारी एवं काश्तकार हैं, विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

दिनांक 02.01.2025 को सायलान की गैरसायलान से किसी भी प्रकार की काई बात नहीं हुई वास्वत मे जब उक्त भूमि सन् 1903 से भी पूर्व से गैरसायलान के वजमाना बुजुर्गान बतौर मुर्तहन दर्ज चली आ रही है, और उसी ससय से गैरसायलान उक्त भूमि पर काबिज एवं दखिज हैं एवं खातेदार काश्तकार हो गये हैं, तब सायलान द्वारा इस मद में दर्ज किसी भी प्रकार की कोई बात गैरसायलान से होने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, सायलान द्वारा इस मद में समस्त तथ्या बिल्कुल गलत व असव्य व मनगढंत, झूठा व गलत वादकारण दर्ज करने की गरज से दर्ज करवा दिये है।, जिनका गैरसायलान से कोई संबध नहीं है। विशेष विवरण उज्राज मजीद में दर्ज है। हाल खसरा नंबर 679 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 680 रकबा 0.02 है0 खसरा नंबर 681 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 रकबा 0.44 है0 बांके ग्राम डौरावली तहसील टोडाभीम जिला करौली स्थित है, जिसके मुताविक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042 से 2062 साबिक खसरा नंबरीान 84 ,83 रहे है, जिनके साबिक खसरा नंबरान मुताबिक फर्द मुताविकात खसरा नंबर 78, 79 रहे है।

गैरसायालान एक ही पूर्व नानगराम की संतति है, जिनका सजरा खानदान निम्मलिखित है:–

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

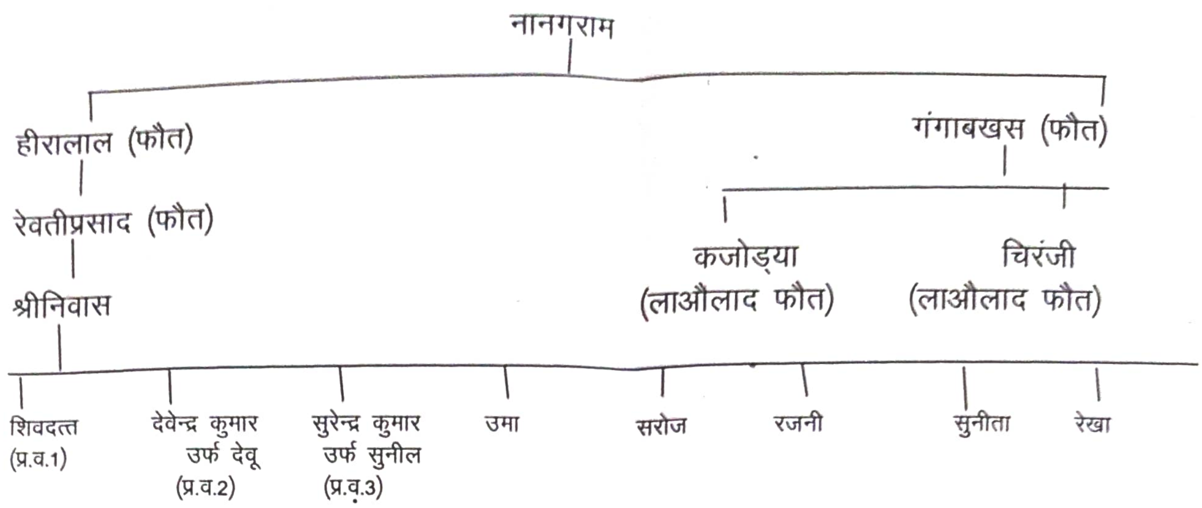

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबिक में सायलान के बुजुर्ग गंगाविशन के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजियात रही है, जिसे उक्त गंगविशन द्वारा गैरसायालान के पूर्वज गंगाबखस मुर्तहिन का उक्त गंगाविशन द्वारा करवा दिया गया, और इस प्रकार सैकडो वर्ष से भी अधिक समय पूर्व से टीनेंसी एक्ट लागू होने के पूर्व से उक्त भूमि पर गैरसायलान वजमाना बुजुर्गान मौके पर काबिज एवं दखित चले आ रहे हैं, जो साबिक राजस्व रिकॉर्ड मिसल हकीयत सम्वत 1984 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 20212 से बखूबी साबित है, और गैरसायालान भूमि मुतनानाज पर साल दर साल फसल दर फसल सायलान व उनके पूर्वजों की जानकारी में निरंतर बिना कोई विध्न बाधा के शांतिपूर्वक काश्त कर दरोह करते चले आ रहे है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बाबत सायलान के पूर्वजो द्वारा कभी भी रहन बागूजास्त कराने की कार्यवाही टीनेंसी एक्ट लागू होने के दिनांक 10.10.1995 से 30 साल क म्याद में किसी भी सक्षम न्यायालय में नहीं की गई, ऐसी स्थिति में कानूनन भूमि मुतनाजा के हाल राजस्व रिकार्ड से मुर्तहिन को हजफ नही किया जा सकता और चूंकि टीनेंसी एक्ट लागू होने के 30 साल की म्याद में किसी भी सक्षम न्यायालय में नहीं की गई, ऐसी स्थिति में कानूनन भूमि मुतनाजा के हाल राजस्व रिकॉर्ड से मुर्महिन को हजफ नहीं किया जा सकता और चूंकि टीनेंसी एक्ट लागू होने के 30 साल तक सायलान द्वारा रहन बागूजास्ती हेतु कार्याही नही किये जाने के कारण एडवर्स पजेशन की म्याद मूताविक धारा 63 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 12 साल से भी अधिक का समय निकल जाने के कारण सायलान के भूमि मुतनाजा से खातेदारी अधिकार कानूनन समाप्त हो चुके है, और गैरसायालान को भूमि मुतनाजा पार खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषधाज्ञा पर मौके पर आज गैरसायलान काबिज एवं दखिल है और पिछले सैकड़ो वर्षो से उक्त भूमि के एक इंच भूभाग पर कभी सायलान काबिज काश्त नही रहे और ना ही आज काबिज काश्त है। इसलिये कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन मेंटेनेबिल नहीं है, काबिले खारिज है। सायलान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मुर्तहिन श्रीनिवास के वारिसान उनकी पुत्रिया उमा, सरोज, रजनी, सुनीता, रेखा जो आवश्यक पक्षकार थीं, को पक्षकार मुकदामा हाजा दर्ज नहीं किया है, इस प्रकार सायलान का वादपत्र नॉन जोईडर ऑफ पार्टीज का नुक्स होने के कारण मेंटेनेबिल नहीं है, काबिले खारिज है, और जब दावा ही मेंटेनेबिल नहीं है तो प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी काबिले खारिज है।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी उस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

1.प्रथम दृष्टया प्रकरणः– प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम डौरावली के खसरा नम्बर 679 रकवा 15 ऐयर, 600 रकवा 2 ऐयर गै0मु0 चाह 681 रकवा 27 ऐयर चाही कुल किता 3 कुल रकवा 0.44 दर्ज रिकार्ड है प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादी खातेदार उक्त स्थिति में मूल वाद में दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय तय होना है। अतः न्यायहित में प्रकरण की वस्तुस्थिति में अन्तरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकाराने के पक्ष में सिद्ध होता है।

2.सुविधा का संतुलनः– पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्ष के पक्ष मे साबित है।

3.अपूर्तनीय क्षतिः– प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि उभयपक्ष को पाबन्द नही किया जाता है तो उभयपक्ष को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

अतः दावा ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम डौरावली के खसरा नम्बर 679 रकवा 15 ऐयर, 600 रकवा 2 ऐयर गै0मु0 चाह 681 रकवा 27 ऐयर चाही कुल किता 3 कुल रकवा 0.44 उभयपक्षकारान को मौके और रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला-करौली